रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2006/चैत्र 9, 1928
No. 307] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2006/CHAITRA 9, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2006

(आय-कर)

का.आ. 459(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (48) और धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (iiiक) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, -

(क) नियम 8क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

' जीरो कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

8ख. (1) किसी अवसंश्चना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा धारा 2 के खंड (48) के अधीन उसके द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी जीरो कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए कोई आवेदन ऐसे बंधपत्र के जारी करने की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व प्ररूप सं0 5ख में किया जाएगा :

परन्तु उस वित्त वर्ष के जिसमें आवेदन किया गया है, अनुवर्ती दो वित्तीय वर्षों के पश्चात् जारी किए जाने वाले बंधपत्र की अधिसूचना के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात् :-

(i) जहां आवेदन किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी है, किया गया है वहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमन प्रमाणपत्र की एक प्रति ;

(ii) जहां आवेदन किसी अवसंरचना पूंजी निधि द्वारा किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास विलेख की प्रति ;

(iii) जहां आवेदन किसी पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा, जो केन्द्रीय या राज्य या प्रांतीय अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन स्थापित कोई निगम है, किया जाता है वहां सुसंगत अधिनियम की प्रति ;

(3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, जीरो कूपन बंधपत्र विनिर्दिष्ट करते समय स्वयं का यह समाधान करेगी कि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली गई हैं, अर्थात् :-

(i) बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि दस वर्ष से अन्यून और बीस वर्ष से अनधिक है,

(ii) अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी के पास जो जीरो कूपन बंधपत्र का प्रस्ताव कर रही है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम से कम दो प्रत्यय मूल्यांकन अभिकरणों से कोई विनिधान श्रेणी मूल्यांकन है ;

(iii) अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा भारत के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में जीरो कूपन

बंधपत्र को सूचीबद्ध करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है ;

(iv) जहां आवेदन अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि द्वारा किया गया है, वहां ऐसी कंपनी या निधि आवेदन के साथ एक वचनबंध प्रस्तुत करेगी कि उसके द्वारा जीरो कूपन बंधपत्र के जारी किए जाने पर वसूल किए गए धन का निम्नलिखित रीति में विनिधान किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) उस वित्त वर्ष के जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है, तुरन्त पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसी वसूली का पच्चीस प्रतिशत या अधिक ;

(ii) उस वित्त वर्ष के जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है, तुरन्त पश्चात् चार वित्त वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी वसूली का अतिशेष ;

(v) जहां पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा कोई आवेदन किया गया है वहां ऐसी कंपनी आवेदन के साथ ऐसा वचनबंध प्रस्तुत करेगी कि जीरो कूपन बंधपत्र के जारी किए जाने पर वसूल किए गए धन का उसके द्वारा निम्नलिखित रीति में विनिधान या उपयोग किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) उस वित्त वर्ष के जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है, तुरन्त पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसी वसूली का पन्द्रह प्रतिशत या अधिक ;

(ii) उस वित्त वर्ष के जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है, तुरन्त पश्चात् छह वित्त वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी वसूली का अतिशेष ;

(4) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना

द्वारा उसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशिष्टियां देते हुए बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करेगी, अर्थात् :-

(क) बंधपत्र का नाम ;

(ख) बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि ;

(ग) बंधपत्र के जारी करने की समय अनुसूची ;

(घ:) बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर संदत्त की जाने वाली रकम ;

(ङ) छूट ;

(च) जारी किए जाने वाले बंधपत्रों की संख्या ;

(5) केन्द्रीय सरकार, यदि आवेदक उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो यथास्थिति, अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् अधिसूचना के लिए आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगी ।

(6) प्रत्येक अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी, यथास्थिति, उपनियम (3) के खंड (iv) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपनियम (3) के खंड (v) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो मास के भीतर धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल से प्रत्येक वर्ष में विनिधान की गई रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार को, अधिसूचना को वापस लेने की शक्ति होगी यदि आवेदक उपनियम (3) या उपनियम (6) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रहता है ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए " छूट" और " बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि" पदों के वही अर्थ होंगे जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iiiक) के स्पष्टीकरण में क्रमश: हैं ।

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (iii क) के प्रयोजन के लिए जीरो कूपन बंधपत्र पर छूट की यथाअनुपात रकम की संगणना.

8ग. धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (iii क) के प्रयोजनों के लिए जीरो कूपन बंधपत्र पर छूट की यथाअनुपात रकम की संगणना निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात :-

(क) बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि कलैंडर मासों की संख्या में संपरिवर्तित हो जाएगी और इस प्रयोजन के लिए वहां उस कलैंडर मास में जिसमें बंधपत्र जारी किया जाता है या बंधपत्र परिपक्व हो जाता है या मोचन होता है, कलैंडर मास का भाग भी होगा तब, यदि ऐसा भाग पन्द्रह दिन या पन्द्रह दिन से अधिक का है तो उसे बढ़ाकर एक कलैंडर मास कर दिया जाएगा और यदि ऐसा भाग पन्द्रह दिन से कम है तो उसे संगणना में नहीं लिया जाएगा,

(ख) छूट की रकम को कलैंडर मास की संख्या में खंड (क) के अनुसार विभाजित किया जाएगा,

(ग) जहां गत वर्ष में खंड (क) के अनुसार अवधारित कलैंडर मासों में से एक या अधिक कलैंडर मास सम्मिलित किया जाता है या सम्मिलित किए जाते हैं वहां खंड (ख) के अनुसार अवधारित रकम में कलैंडर मास की संख्या से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार गुणा करके आई रकम को गत वर्ष के लिए छूट की यथाअनुपात रकम के रूप में लिया जाएगा।'

(ख) परिशिष्ट- II में प्ररूप संख्यांक 5क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'प्ररूप सं० 5ख

(नियम 8ख देखें)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (48) के अधीन जीरो कूपन बंधपत्र की अधिसूचना के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम

2. प्रवर्ग (कृपया एक पर निशान लगाएं) अवसंरचना पूंजी कंपनी / अवसंरचना पूंजी निधि / पब्लिक सैक्टर कंपनी

3. आवेदक का पता

4. आवेदक का **स्थायी लेखा** संख्या

5. निर्धारण अधिकारी जिसकी अधिकारिता के अधीन आवेदक का निर्धारण किया गया है / आयकर के लिए निर्धारण योग्य है ।

6. निगमन / रजिस्ट्रीकरण की तारीख (कृपया निगमन/ रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

7. आवेदक का उद्देश्य (कृपया ज्ञापन / न्यास विलेख आदि की प्रति संलग्न करें) -

   (क) मुख्य उद्देश्य

   (ख) आनुषंगिक उद्देश्य

8. जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित बंधपत्रों की कुल संख्या

9. वह रकम जिसके लिए बंधपत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है ।

10. बंधपत्र की परिपक्वता / मोचन के लिए संदेय रकम

11. छूट [(10)-(9)]

12. बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि

13. वह अवधि जिसके दौरान बंधपत्र जारी किए जाने हैं

14. बंधपत्र जारा करने के उद्देश्य

15. अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि की दशा में -

(क) उस उद्यम या उद्यमों या उपक्रम या उपक्रमों का नाम जिनमें विनिधान किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) (क) में निर्दिष्ट उद्यम या उद्यमों या उपक्रम या उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले कारबार की प्रकृति ;

(ग) क्या (क) में निर्दिष्ट उद्यम या उद्यमों या उपक्रम या उपक्रमों को धारा 10 के खंड (23छ) के अधीन तत्समय के लिए अनुमोदित किया गया है, यदि हां, तो कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें ,

(घ) क्या (ग) में निर्दिष्ट अनुमोदन किसी विशिष्ट रकम के विनिधान / परियोजना की लागत के लिए है, यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें ।

16. पब्लिक सैक्टर कंपनी की दशा में -

(क) कारबार की प्रकृति ;

(ख) कंपनी के कारबार में किए जाने के लिए प्रस्तावित विनिधान की दशा में, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

(ग) किसी अन्य पब्लिक सेक्टर कंपनी या पब्लिक

सेक्टर कम्पनियों या उद्यम या उद्यमों या उपक्रम या उपक्रमों के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित विनिधान की दशा में, कृपया उसके ब्यौरे दें ;

(घ) (ग) में निर्दिष्ट पब्लिक सैक्टर कंपनी या पब्लिक सेक्टर कम्पनियों या उद्यम या उद्यमो या उपक्रम या उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले कारबार की प्रकृति ;

(ङ) क्या (ग) में निर्दिष्ट उद्यम या उद्यमो या उपक्रम या उपक्रमों को तत्समय धारा 10 के खंड (23छ) के अधीन तत्समय के लिए अनुमोदित किया गया है, यदि हां तो, कृपया अनुमोदन की प्रति संलग्न करें ;

(च) क्या (ङ) में निर्दिष्ट अनुमोदन किसी विशिष्ट रकम के विनिधान /परियोजना की लागत के लिए है, यदि हां तो उसके ब्योरे दें ।

17. परियोजना / परियोजनाओं की अवस्थति जिनमें विनिधान किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

18. लगभग वर्ष वार विनिधान जो किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

19. विनिधान के स्रोत (बंधपत्र से भिन्न) यदि कोई हो

20. परियोजना / परियोजनाओं के विकास की अनुसूची

(क) प्रारंभ की आयोजित तारीख

(ख) परियोजना के प्रचालन के प्रारंभ की आयोजित तारीख

21 परियोजना के निष्पादन के लिए दायी प्रबन्धन के ब्यौरे :

(क) निदेशकों, न्यासियों आदि के नाम, उनके अनुभव, अर्हताएं और अनुपालन सहित,

(ख) अन्य मुख्य कार्मिकों के नाम, उनकी अर्हता और अनुभव सहित ।

(ग) संगठनात्मक संरचना

(घ) निधि की दशा में आस्ति प्रबंधन कंपनी की विशिष्टियां

22. परियोजना रिपोर्ट की प्रति, यदि कोई हो

(स्तंभ या स्तंभों के सामने जो आवेदक से सुसंगत नहीं हैं, " लागू नहीं होता" लिखें)

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । मैं ————————(आवेदक का नाम लिखे) के निमित्त वचनबंध करता हूं कि ऐसे बंधपत्र के जारी किए जाने पर वसूल किया गया धन, आयकर नियम, 1962 के नियम 8ख के उपनियम (3) के खंड (4) या खंड (5) के अनुसरण में विनिधान किया जाएगा ।

———————————

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पण - आवेदक द्वारा आवेदक प्ररूप में यथा अपेक्षित दस्तावेजों सहित आवेदन प्ररूप (दो प्रतियों में) बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।'

[अधिसूचना सं. 93/2006/फा. सं. 142/28/2005/टी.पी.एल.]
शरत चंद्रा, निदेशक

टिप्पण—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अन्तिम संशोधन सं. का.आ. 358(अ), तारीख 17 मार्च, 2006 को किए गए।